

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 1959) की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर ने न्यास की ग्राम बीछवाल के खसरा नम्बर 55 में आवासीय/औद्योगिक, मास्टर प्लान भू-उपयोग अनुसार योजना विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

पूर्व – उरमूल डेयरी

पश्चिम – आई.जी.एन.पी. ऑफिस एवं कॉलोनी

उत्तर – मुख्य सड़क आई.जी.एन.पी. कॉलोनी 150 फीट

दक्षिण – गंगानगर रोड से लालगढ़ रेल्वे क्रॉसिंग को जाने वाली 100 फीट सड़क

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 4.8161 हैक्टर है। योजना का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास बीकानेर के कार्यलय में उपलब्ध है। जिसको किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

—
(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष नगर विकास न्यास, बीकानेर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
4. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ०२.०७.२०२१ प्रकाशित कराये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

३१
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय